संख्या के-14011/8/2009-श.प.

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

[शहरी परिवहन]

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 27 दिसंबर, 2010

सेवा में,

प्रमुख सचिव (श.प.)/श.वि.
सभी राज्य/के. शा. प्र.

विषय: विभिन्न अभिज्ञात संकेतकों के लिए शहरी परिवहन में सेवा स्तर के न्यूनतम मानदण्ड (बेंचमार्क)

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है, जेएनएनयूआरएम के उद्देश्यों में से एक शहरों में अवसंरचनात्मक सेवाओं के एकीकृत विकास हेतु ध्यान संकेन्द्रित किया जाना है। जेएनएनयूआरएम की केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा बड़ी संख्या में सड़कों, सड़क ओवर ब्रिजों और बस त्वरित पारगमन प्रणाली (रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) की परियोजनाओं पर विचार किया गया और उन्हें स्वीकृत किया है। अवसंरचना में निवेश ने, हालाँकि, सेवा वितरण के स्तरों में अनुरूपी मापनीय सुधार का परिणाम हमेशा नहीं दिया है। इसलिए, यह समय की आवश्यकता है की सेवा वितरण की ओर ध्यान दिया जाए।

2. शहरी परिवहन खंड में महत्वपूर्ण सुधारों को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से, शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी परिवहन के लिए 10 सेवा स्तरीय न्यूनतम मानदण्ड विकसित किए हैं, यथा, (i) सार्वजनिक पहिवहन सुविधाएँ, (ii) पैदल यात्रियों के लिए अवसंरचना सुविधाएँ, (iii) गैर-मोटरयुक्त परिवहन सुविधाएँ, (iv) सुबोध परिवहन प्रणाली सुविधाओं के उपयोग का स्तर, (v) प्रमुख गलियारों के साथ-साथ यात्रा गति, (vi) पार्किंग स्थलों की उपलब्धता, (vii) सड़क सुरक्षा, (viii) प्रदूषण स्तर, (ix) एकीकृत भू उपयोग परिवहन प्रणाली और (x) सार्वजनिक पहिवहन की वित्तीय निरंतरता, जिन्हें 03/12/2009 को बाहर लाया गया था।

3. शहरी परिवहन के लिए सेवा स्तरीय न्यूनतम मानदण्ड मंत्रालय की वेबसाइट (www.urbanindia.nic.in) पर भी उपलब्ध हैं।

4. राज्यों/शहरों में शहरी परिवहन सेवाओं को सुधारने हेतु यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार से वित्तपोषण शामिल करने वाला शहरी परिवहन में परियोजना प्रस्ताव, अंतिम लक्ष्य के रूप में एक अभिज्ञात न्यूनतम मानदण्ड के साथ, सेवा स्तरों में सुधार करने के लिए एक विशिष्ट तत्व को शामिल करता हो। प्रत्येक प्रस्ताव कार्यान्वित किए जाने पर मापनीय सुधार को प्रतिबिंबित करने में समर्थ होना चाहिए। अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि शहरी परिवहन से संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को अग्रसरित करते समय, शहर, पुस्तिका (बुकलेट) में अभिज्ञात संकेतकों के क्षेत्र में शहरी परिवहन में सेवा स्तरीय बेंचमार्क और साथ ही अनुमानित सुधार (प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात्) को दर्शाते हुए, विवरण अवश्य प्रदान करें।

5. यह सचिव (श.वि.) के अनुमोदन से है।

भवदीय,

(ए.के. सरोहा)
निदेशक (श.प.)
दूरभाष संख्या 011-23062798
फैक्स संख्या 011-23063304

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव (एम), शहरी विकास मंत्रालय

प्रतिलिपि इन्हें भी प्रेषितः

1. सचिव (श.वि.) का वरिष्ठ पी.पी.एस.
2. ओएसडी (श.परि.), श.वि.मं. का निजी सचिव
3. वेबसाइट (निदेशक, एनआईसी)

27/12/10

(ए.के. सरोहा)
निदेशक (श.प.)